विद्युत लोकपाल
मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
पंचम तल, ''मेट्रो प्लाज़ा'', बिट्टन मार्केट, अरेरा कालोनी, भोपाल

प्रकरण क्रमांक L00-05/16

मेसर्स स्पर्श एज्यूकेशन एण्ड वेलफेयर सोसायटी, — आवेदक
सालपुरा, पिपरोली, शिवपुरी लिंक रोड,
लश्कर, ग्वालियर म.प्र.–474001

विरूद्ध

उपमहाप्रबंधक (सं./सं.), संभाग, — अनावेदक
म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि., ग्वालियर म.प्र.

आदेश

(दिनांक 12.07.2016 को पारित)

01 विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, भोपाल द्वारा शिकायत प्रकरण क्रमांक जी.टी. 067/2016 मेसर्स स्पर्श एज्यूकेशन एण्ड वेलफेयर सोसायटी, ग्वालियर विरूद्ध उपमहाप्रबंधक (सं./सं.), संभाग, मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि. ग्वालियर में पारित आदेश दिनांक 16.03.2016 के विरूद्ध आवेदक द्वारा अपील अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है।

02 लोकपाल कार्यालय में उक्त अभ्यावेदन को प्रकरण क्रमांक एल00–05/16 में दर्ज कर तर्क हेतु उभय पक्षों को सुनवाई के लिए बुलाया गया ।

03 दिनांक 25.05.2016 को उपरोक्त प्रकरण में सुनवाई प्रारंभक की गई। सुनवाई में आवेदक की ओर श्री संजय जैन उपस्थित हुए तथा अनावेदक की ओर से श्री सी.के. वलेजा, अधिवक्ता उपस्थित हुए।

04 आवेदक द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा विद्युत देयकों का भुगतान समय से किये जाने के बावजूद भी उनके विद्युत कनेक्शन के विरूद्ध आडिट पार्टी द्वारा दो वर्ष पश्चात रिकवरी निकालने पर अनावेदक द्वारा वसूली की जा रही है जो कि उचित नहीं है। अनावेदक के अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में प्रतिउत्तर प्रस्तुत करने हेतु समय चाहा गया। अनावेदक के अनुरोध को स्वीकार करते हुए प्रकरण में सुनवाई की अगली तारीख दिनांक 13.6.2016 नियत की गई।

05 दिनांक 13.6.2016 को सुनवाई प्रारंभ की गई जिसमें आवेदक की ओर से श्री संजय जैन तथा अनावेदक के ओर से श्री सी.के. वलेजा, अधिवक्ता उपस्थित हुए।

06 अनावेदक के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि आडिट पार्टी द्वारा निकाली गई रिकवरी के निराकरण हेतु हाई लेवल आडिट कमेटी को निर्णय हेतु प्रकरण भेजा गया तथा प्रतिउत्तर प्रस्तुत करने हेतु पुनः 15 दिन का समय चाहा गया।

07 अनावेदक के अधिवक्ता द्वारा आपत्ति ली गई कि मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ताओं की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना) (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम, 2009 के प्रावधान अनुसार आवेदक द्वारा बकाया राशि का 50 प्रतिशत जमा नहीं की है अतः प्रकरण को निरस्त किया जाए।

08 उपरोक्त आपत्ति के संबंध में आवेदक द्वारा बताया गया कि जो आडिट पार्टी द्वारा रिकवरी निकाली गई है वह गलत है तथा रिकवरी निरस्त करने हेतु प्रकरण अतिरिक्त निदेशक (आडिट) कार्यालय, प्रबंध संचालक, मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि., भोपाल को भेजा गया तथा अनावेदक द्वारा भी स्वयं स्वीकार किया गया है कि आडिट पार्टी द्वारा निकाली गई रिकवरी गलत है। अतः इस राशि का 50 प्रतिशत जमा कराने का कोई औचित्य नहीं है। विद्युत लोकपाल ने आवेदक की दलील से सहमत होते हुए अनावेदक की आपत्ति को खारिज कर सुनवाई प्रारंभ की गई।

09 सुनवाई के दौरान आवेदक द्वारा बताया गया कि विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम भोपाल ने अपने निर्णय दिनांक 2.7.2014 (ओई–1) में अतिरिक्त निदेशक (आडिट) कार्यालय, प्रबंध संचालक, मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि., भोपाल को आवेदक के विरूद्ध निकाली गई रिकवरी को समाप्त करने हेतु अनावेदक द्वारा लिखा गया है, पत्र को संज्ञान में लेते हुए एवं अनावेदक के कथन एवं प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर अतिरिक्त निदेशक (आडिट) कार्यालय, प्रबंध संचालक, मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि., भोपाल के निर्णय आने तक स्थगन रखने का आदेश दिया तथा उक्त प्रकरण में 21 दिन में निर्णय लेने हेतु निर्देशित किया तथा यह भी निर्देशित किया कि आवेदक को यह अधिकार रहेगा कि यदि वे उच्च स्तरीय कमेटी के निर्णय से सहमत नहीं हैं तो वे फोरम के समक्ष अपना आवेदन पुनः प्रस्तुत कर सकते हैं।

10 आवेदक द्वारा बताया गया कि अनावेदक द्वारा प्रकरण में उक्त आदेश के दिनांक के पश्चात लगभग एक वर्ष नौ माह की अवधि में भी अतिरिक्त निदेशक (आडिट) कार्यालय, प्रबंध संचालक, मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि., भोपाल से आडिट पार्टी द्वारा निकाली गई रिकवरी का निराकरण नहीं करा सके। अतः आवेदक द्वारा पुनः विद्युत शिकायत निवारण फोरम में आवेदन प्रस्तुत किया।

11 फोरम द्वारा अपने पूर्व के निर्णय दिनांक 2.7.2014 में दिये गये निर्देश जिसमें कि अनावेदक को आदेश दिनांक से 21 दिन के अंदर अतिरिक्त निदेशक (आडिट) कार्यालय, प्रबंध संचालक, मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि., भोपाल से प्रकरण का निराकरण कराना था जिसकी प्रतिपालन रिपोर्ट उपलब्ध न होने के पश्चात भी आवेदक के प्रकरण को गुणदोष एवं टैरिफ आदेश के प्रावधान के तहत आडिट पार्टी द्वारा निकाली गई रिकवरी उचित मानते हुए अपना आदेश दिनांक 16.3.2016 को पारित कर दिया जिससे असंतुष्ट होकर आवेदक द्वारा विद्युत लोकपाल के यहॉ अपील प्रस्तुत की।

12 दिनांक 13.6.2016 को सुनवाई में अनावेदक को अगली सुनवाई की तिथि पर अतिरिक्त निदेशक (आडिट) कार्यालय, प्रबंध संचालक, मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि., भोपाल के निर्णय की रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

13 दिनांक 25.6.2016 को अनावेदक के अधिवक्ता द्वारा अतिरिक्त निदेशक (आडिट) कार्यालय, प्रबंध संचालक, मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि., भोपाल के निर्णय का पत्र (ओई–2) प्रस्तुत

किया, जिसमें कार्यपालक निदेशक (आडिट) द्वारा आवेदक के विरूद्ध आडिट पार्टी द्वारा निकाली गई रिकवरी को टैरिफ आदेश के अनुकूल मानते हुए वसूली योग्य बताया।

14 प्रकरण में सुनवाई के दौरान अनावेदक के अधिवक्ता द्वारा कार्यपालक निदेशक (आडिट) के पत्र के संदर्भ में पुनः बकाया राशि का 50 प्रतिशत जमा कराने के उपरांत प्रकरण में सुनवाई करने का अनुरोध किया। चूंकि कार्यपालक निदेशक (आडिट) के पत्र में आडिट पार्टी द्वारा निकाली गई रिकवरी को सही माना गया है अतः आवेदक को निर्देशित किया गया कि वे आडिट पार्टी द्वारा निकाली गई रिकवरी की राशि का 50 प्रतिशत जमा कराने को तैयार हो तो प्रकरण में सुनवाई जारी रखी जाए। इस पर आवेदक द्वारा सहमति देने पर प्रकरण में सुनवाई की अगली तारीख दिनांक 11.7.2016 नियत की गई।

15 दिनांक 11.7.2016 को आवेदक द्वारा आडिट पार्टी द्वारा निकाली गई रिकवरी की 50 प्रतिशत राशि जमा कराने की रसीद (ओई–3) प्रस्तुत की। अनावेदक द्वारा पुष्टि करते हुए बताया गया कि आवेदक द्वारा 50 प्रतिशत राशि जमा करा दी गई है।

16 सुनवाई के दौरान आवेदक द्वारा पूर्व में प्रस्तुत अपनी अपील एवं किये गये तर्क के आधार पर आडिट पार्टी द्वारा निकाली गई रिकवरी को समाप्त करते हुए इस राशि पर सरचार्ज की बिलिंग को माफ करने तथा उनके द्वारा अस्थाई कनेक्शन के विरूद्ध जमा की गई सुरक्षा निधि की राशि को विद्युत देयकों में समायोजित कराने हेतु अनुरोध किया।

अतः आवेदक एवं अनावेदक द्वारा प्रस्तुत अपील दस्तावेज एवं लिखित वहस व तर्क सुनने के पश्चात निम्न तथ्य सामने आते है –

अ आवेदक द्वारा उनकी संस्था के भवन निर्माण हेतु 5 किलोवाट का अस्थाई विद्युत कनेक्शन लिया था जिसके लिए उनके द्वारा 20,000/– रूपये सुरक्षा निधि जमा कराई गई थी। भवन निर्माण पूर्ण होने के पश्चात उनके द्वारा 55 किलोवाट का स्थायी कनेक्शन अपनी संस्था स्पर्श एज्यूकेशन एण्ड वेलफेयर सोसायटी के लिए ले लिया । विद्युत कनेक्शन के प्रतिमाह के विद्युत देयकों का भुगतान आवेदक द्वारा नियमित रूप से किया जाता रहा।

ब नवंबर 2013 में रूपये 86,834/– की अतिरिक्त राशि जोड़कर विद्युत देयक अनावेदक द्वारा आवेदक को दिया गया।

स आवेदक द्वारा पूछे जाने पर अनावेदक द्वारा यह बताया गया कि आपको पूर्व में दिये गये अस्थाई कनेक्शन के विरूद्ध आंतरिक अंकेक्षण में अंकेक्षण दल द्वारा रिकवरी निकाली गई।

द आवेदक द्वारा उक्त आडिट पार्टी द्वारा निकाली गई रिकवरी से असंतुष्ट होकर कई बार पत्र विद्युत वितरण कंपनी को लिखकर रिकवरी समाप्त करने का अनुरोध किया । परन्तु विद्युत कनेक्शन को विच्छेदित करने हेतु निरंतर दबाव बनाये जाने (ओई–4) पर उनके द्वारा एक शिकायत विद्युत शिकायत निवारण फोरम भोपाल कैंप ग्वालियर को किया गया।

17 फोरम में सुनवाई के दौरान अनावेदक द्वारा स्पष्ट रूप से यह कथन किया गया कि आडिट पार्टी द्वारा निकाली गई रिकवरी त्रुटिपूर्ण है तथा इसे समाप्त करने हेतु कार्यपालक निदेशक (आडिट), भोपाल को कई बार पत्र लिखे गये तथा उनसे इस संबंध में निर्णय प्राप्त होने पर रिकवरी को समाप्त कर दिया जाएगा।

18 फोरम द्वारा अनावेदक के कथन पर उक्त रिकवरी स्थगित रखने के आदेश दिये तथा अनावेदक को निर्देशित दिये कि वे 21 दिन के अंदर अतिरिक्त निदेशक (आडिट) कार्यालय, प्रबंध संचालक, मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि., भोपाल से प्रकरण का निराकरण कराये।

19 फोरम के उक्त आदेश को अनावेदक द्वारा गंभीरता से नहीं लिया गया एवं लगभग 2 वर्ष वर्ष बीत जाने के उपरांत भी अतिरिक्त निदेशक (आडिट) से प्रकरण का निराकरण नहीं करा सके। अतः आवेदक द्वारा विद्युत शिकायत निवारण फोरम में पुनः प्रकरण प्रस्तुत किया।

20 अनावेदक द्वारा आवेदक की शिकायत दिनांक 8.2.2016 पर सुनवाई के दौरान फोरम को स्पष्ट रूप से यह बताया गया उनकि द्वारा प्रकरण के निराकरण हेतु 9 बार पत्र प्रबंध संचालक, मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि. को लिखे गये परन्तु उनसे अभी तक निराकरण प्राप्त नहीं हुआ तथा जिसकी अनुपस्थिति में आडिट द्वारा निकाली गई रिकवरी अभी तक स्थगित है।

21 फोरम द्वारा अपने पूर्व में दिये गये निर्णय की समीक्षा नहीं कर आवेदक की शिकायत का निराकरण गुणदोष एवं टैरिफ में दिये गये प्रावधानों के अनुसार करते हुए आडिट पार्टी द्वारा निकाली गई रिकवरी को जायज ठहराते हुए दिनांक 16.3.2016 को आदेश पारित किया।

22 फोरम द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.3.2016 के पश्चात अनावेदक द्वारा आवेदक से आडिट पार्टी द्वारा निकाली गई रिकवरी एवं उस पर लिया गया सरचार्ज की मांग की जा रही है।

उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि–

23 फोरम के सम्मुख सुनवाई में अनावेदक द्वारा यह स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया कि आवेदक के विरूद्ध निकाली गई आडिट रिकवरी रूपये 86,834/– गलत है तथा जिसे समाप्त करने के लिए उनके द्वारा पत्राचार किया जा रहा है। परन्तु अतिरिक्त निदेशक (आडिट) से निराकरण न मिलने के कारण रिकवरी समाप्त नहीं की जा सकी।

24 फोरम द्वारा पारित अपने आदेश दिनांक 2.7.2014 में आडिट की रिकवरी को स्थगित करते हुए अनावेदक को प्रकरण का 21 के दिन के अंदर निराकरण प्राप्त करने हेतु निर्देशित किया गया था।

25 यह अत्यंत आश्चर्यजनक एवं विस्मृत करने वाला है कि अनावेदक के लगातार पत्राचार एवं स्मरण पत्र देने के बाद भी अतिरिक्त निदेशक (आडिट) द्वारा प्रकरण में अपना निर्णय नहीं दिया जिसके कारण आडिट रिकवरी स्थगित रखी गई जो कि वरिष्ठ एवं प्रशासकीय कार्यालय में पदस्थ संबंधित अधिकारी की सेवा में कमी को दर्शाता है।

26 आवेदक द्वारा आडिट की रिकवरी समाप्त करने के निर्णय का इंतजार लगभग 2 वर्ष तक किया जाता रहा एवं अंत में परेशान होकर उनके द्वारा एक शिकायत विद्युत शिकायत निवारण फोरम में दिनांक 8.2.2016 को प्रस्तुत की। जिसकी सुनवाई के दौरान अनावेदक द्वारा अपने कथन में कहा कि उपभोक्ता फोरम के आदेश दिनांक 2.7.2014 के परिपालन हेतु उनके द्वारा पंजीकृत पत्र द्वारा अतिरिक्त निदेशक (आडिट) कार्यालय को भेजकर अनुरोध किया गया कि आवेदक के विरूद्ध निकाली गई रिकवरी को समाप्त करने हेतु आवश्यक निर्णय दिया जाए। परन्तु फोरम द्वारा आदेश जारी होने तक अतिरिक्त निदेशक (आडिट) द्वारा कोई निराकरण किया गया।

27 यहॉ यह भी विस्मृत करने का विषय है कि उपभोक्ता फोरम द्वारा आवेदक द्वारा दिये गये पुनः आवेदक पर अपने पूर्व आदेश दिनांक 2.7.2014 की समीक्षा नहीं की गई एवं स्वयं ही टैरिफ

आदेश के प्रावधानों के तहत आडिट द्वारा निकाली गई रिकवरी को उचित बताया। जबकि अनावेदक लगातार यह कथन करता रहा कि आडिट पार्टी द्वारा निकाली गई रिकवरी त्रुटिपूर्ण है एवं जिसे समाप्त करने हेतु उनके द्वारा प्रकरण वरिष्ठ कार्यालय को भेजा गया है।

28 फोरम द्वारा दिनांक 16.3.2016 को पारित आदेश के तहत एवं मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा वर्ष 2010–11 के लिए जारी टैरिफ आदेश का अवलोकन किया गया तथा पाया गया कि ऐसे सभी अस्थाई कनेक्शन जो कि मैरिज गार्डन, मैरिज हॉल एवं अन्य उपभोक्ता जो कि टैरिफ तालिका एलवी 2.1 एवं 2.2 की श्रेणी में आते हैं के विरूद्ध निम्नानुसार बिलिंग करने का प्रावधान है –

Sub Category	Energy charges (paise/unit) Urban/Rural areas
Temporary connection for marriage purposes at marriage gardens of marriage halls or any other premises covered under LV 2.1 and 2.2 categories.	660 (Minimum consumption charges shall be billed @ 6 units per KW of part thereof of sanctioned or connected or recorded load whichever is hghest for each 24 hours duration or part there of subject to a minimum of Rs. 500/-)

29 आवेदक को कालेज भवन निर्माण हेतु अस्थाई कनेक्शन दिया गया था जो कि टैरिफ तालिका एलवी 2.1 के अंतर्गत आता है। अतः आडिट पार्टी द्वारा उनके विरूद्ध निकाली गई रिकवरी सही एवं उचित है।

30 यह भी अत्यंत विस्मृत करने वाला विषय है कि अनावेदक द्वारा टैरिफ आदेश के प्रावधानों के समझे बिना आवेदक को एवं उपभोक्ता फोरम को प्रकरण के शुरू से ही अवगत कराता रहा कि आडिट पार्टी द्वारा निकाली गई रिकवरी त्रुटिपूर्ण है इसलिए प्रकरण समाप्त करने हेतु प्रकरण वरिष्ठ अधिकारियों को भेजा गया है, जिसके कारण आवेदक गलतफहमी में रहा कि उसके विरूद्ध निकाली गई रिकवरी गलत है। अतः उसके द्वारा इस राशि का भुगतान नहीं किया गया।

31 उपभोक्ता फोरम द्वारा भी अपने आदेश दिनांक 2.7.2014 के पारित करने से पूर्व इस संबंध में प्रचलित विद्युत दरों का अध्ययन किया होता तो उसी समय उपभोक्ता को बताया जा सकता था कि उनके विरूद्ध निकाली गई रिकवरी प्रचलित टैरिफ के अनुसार सही है तथा आपको इस प्रकरण में कोई भी सहायता नहीं दी जा सकती। परन्तु इसके विपरीत उनके द्वारा अनावेदक के कथन को स्वीकार करते हुए आडिट रिकवरी को स्थगित रखते हुए अतिरिक्त निदेशक (आडिट) से प्रकरण में उचित निराकरण प्राप्त करने हेतु निर्देशित किया।

32 विद्युत लोकपाल द्वारा सुनवाई के दौरान दिनांक 13.6.2016 को अनावेदक से अतिरिक्त निदेशक (आडिट), कार्यालय, प्रबंध संचालक, म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि., भोपाल से प्रकरण में आवश्यक रिपोर्ट प्राप्त कर अगली तारीख दिनांक 25.6.2016 को प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया, तब आवेदक द्वारा अतिरिक्त निदेशक (आडिट) से उक्त आडिट रिकवरी के निराकरण के संबंध में पत्र प्रस्तुत किया जिसमें भी उनके द्वारा प्रचलित टैरिफ में लागू प्रावधानों के तहत आडिट पार्टी द्वारा निकाली गई रिकवरी को जायज एवं सही माना गया। अनावेदक को अतिरिक्त निदेशक (आडिट) से उक्त प्रकरण के निराकरण के लिए आवश्यक जानकारी देने में लगभग दो वर्ष का समय लगा।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि –

अ आडिट द्वारा निकाली गई रिकवरी जिसमें प्रचलित टैरिफ वर्ष 2010–11 की तालिका एलवी–2 के प्रावधानों के अनुसार सही एवं भुगतान योग्य है।

ब चूंकि अनावेदक द्वारा अपने कथन में बार–बार यह स्पष्ट रूप से कहता रहा है कि आडिट पार्टी द्वारा निकाली गई रिकवरी गलत है एवं उसे समाप्त करने हेतु प्रकरण अतिरिक्त निर्देशक (आडिट) को भेजा गया है तथा जिसके आधार उपभोक्ता फोरम द्वारा अपने निर्णय दिनांक 2.7. 2014 में उक्त रिकवरी को स्थगित रखने तथा प्रकरण का 21 दिन के अंदर निराकरण करने हेतु निर्देशित किया। परन्तु इस प्रकरण में दो वर्ष की अवधि निराकरण प्राप्त करने में लग गई जिसके अभाव में निश्चित रूप से आवेदक द्वारा उक्त वसूली का भुगतान नहीं किया गया। अतः चूंकि उपभोक्ता फोरम द्वारा उपरोक्त रिकवरी को स्थगित रखा गया था अतः नवंबर 2013 से इस राशि पर सरचार्ज लिया जाना न्यायसंगत नहीं है, क्योंकि अनावेदक को इस राशि की डिमांड आवेदक के खाते में निराकरण प्राप्त नहीं होने तक नहीं जोड़ा जाना चाहिए था। अतः आवेदक के विरूद्ध बिलिंग की गई सरचार्ज राशि रूपये 25,250/– वसूलने योग्य नहीं है। फोरम के आदेश दिनांक 16.3.2016 को यथावत रखा जाता है।

अतः आदेशित किया जाता है कि –

(i) आडिट रिकवरी रूपये 86,834/– के विरूद्ध बिलिंग की गई सरचार्ज राशि रूपये 25,250/– को निरस्त किया जाए।

(ii) आवेदक द्वारा अस्थाई कनेक्शन के समय जमा की गई सुरक्षा निधि रूपये 20,000/– को आडिट रिकवरी के विरूद्ध समायोजित की जाए।

(iii) उभय पक्ष प्रकरण में हुए व्यय को अपना–अपना वहन करेंगे।

33 आदेश की प्रति के साथ फोरम का अभिलेख वापस हो । आदेश की निःशुल्क प्रति पक्षकारों को दी जाए ।

विद्युत लोकपाल

प्रतिलिपि :

1. आवेदक की ओर प्रेषित ।
2. अनावेदक की ओर प्रेषित ।
3. फोरम की ओर प्रेषित ।

विद्युत लोकपाल